फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नारायण | **विपक्षी : श्रीमती लोगरी**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अ. | **पत्रावली संख्या : 195/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 10.04.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी की एकरफा बहस पर मनन किया। वादी द्वारा स्वयं को देवा का एकमात्र वारिस बताते हुए लोगरी के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं, जो दस्तावेज प्रदर्श 1–8 से स्पष्ट होता है। पूर्व में वादग्रस्त भूमि वादी के पिता देवा के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी जो दस्तावेज प्रदर्श 10 से स्पष्ट होता हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को गैलड पुत्री होना बताकर इसके नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज किया जाने का निवेदन किया, जो दस्तावेज प्रदर्श 9ए वसीयतनामा से स्पष्ट होता हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री नारायणलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री धनराज, पीडब्ल्यू 3 श्री जीवा का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 से 8, देवा द्वारा नारायणलाल के पक्ष में लिखा गया वसीयतनामा दिनांक 08.04.2022 प्रदर्श 9ए, जमाबन्दी खतौनी प्रदर्श 10 पेश किये। पत्रावली एवं दस्तावेज के अवलोकन से देवा के नाम दर्ज भूमि को विरासत का नामान्तरकरण पारित करते समय देवा के वारिसों के रूप में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कर दी गई थी, जबकि दस्तावेज प्रदर्श 9ए के अवलोकन से प्रतिवादी सं. 1 देवा की गैलड पुत्री होना जाहिर होता हैं एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् गैलड संतान को किसी प्रकार का हक नहीं हैं। **"इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का दृष्टांत RLW 2005 (1) RJ Page 503 Gyarsiram & ors Vs Shreelal & ors माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि–Hindu Succession Act, 1956 Sec. 8(a) and 3(h)(II); Rajasthan Tenancy Act, 1955 Sec. 88, 89 and 53- Difference In right of Legitimate son and 'Galad son' (the son of her previous husband to whom she takes to second husband)- galad son's rights in the ancestral property of the second husband-Held- 'Gald' son is not heir u/S. 8(a) and 3(h)(II)-Only legitimate persons are consideredas related-On the basis of sucession, right accrue to the legitimate sons only – Khatedari rights cannot be declared on the basis of entries in jamabandi. उक्त नजीर में भी न्यायालय ने गैलड पुत्र को उत्तराधिकार के आधार पर खातेदार नहीं माना हैं।" "इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर दृष्टांत RLW 2009(2) page 912, Gopal & ors. Vs shuolal (Deceased) throught L.Rs. & Anr. मे माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि & Rajasthan Tenancy Act, 1955, Sec.88; Evidence Act, 1872, Sec. 90- Right from inheritance to a ' Galad ' daughter (daughter from a Nata Mother and former father)- Held – Galad daughters /son has no legal right / tital in the property – The deceased khatedar executed adoption deed/will in favour of the respondent witch has been substantiated by attesting evidence- This document was in proper custody of respondent and he himself produced it before trial Court – Concurrent finding of the Courts below – warrants no interference . Appeal dismissed. उक्त नजीर में भी न्यायालय ने गैलड पुत्र/पुत्री को सम्पति में कोई विधिक**

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:08 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार/स्वत्व प्राप्त नहीं होना माना है।" "इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का दृष्टांत RRT 2003 page 633, RRT 2003(1) page 23 Gokul chand &Ors. Vs Ram sahay & Anr. मे माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि – Code of civil procedure , 1908- Order 7, Rule 11- S.D.O rejected the Application – Plaint can be rejected before filling of written statement – Khatedar tenant is only entitled to get relief under. Sec. 188, Rajasthan Tenancy Act- Person holding ikrarnama in not entitled to any relief under Section 188- Aggrieved person has right to file civil suit for specific performance of ikrarnama- Order is illegal and set aside and suit dismissed. उक्त नजीर में भी न्यायालय ने ईकरारनामा धारी व्यक्ति को धारा 188 के तहत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना है।" माननीय न्यायालय के उक्त दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते है क्योंकि दस्तावेज प्रदर्श 9ए वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 लोगरी का देवा के नुत्फे से जन्म नहीं होना एवं लोगरी देवा की नातायात पत्नी दोलीबाई के साथ आना जाहिर होता हैं। अतः देवा के नुत्फे से प्रतिवादी सं. 1 का जन्म नहीं होना एवं नातायत पत्नी के साथ लोगरी का आना इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी सं. 1 देवा की गैलड पुत्री है जो कि साक्ष्य, सबूत से साबित है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित होकर वादी का वाद का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया है इससे भी वादी के वाद को बल मिलता हैं। अतः गैलड पुत्री होने से वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक अधिकार नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 1036, 1229, 1242 से 1245, 1249, 1250, 1254, 1262, 1263, 1267, 1567/1350, 1569/1368 किता 14 रकबा 5.2691 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1253, 1258, 1415 से 1421, 1425, 1426 किता 11 रकबा 1.6836 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1022, 1023, 1024 किता 3 रकबा 0.1458 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1311 रकबा 1.8535 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1272 रकबा 0.3561 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1423 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1568/1351 रकबा 0.1538 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1260 रकबा 0.0162 हेक्टेयर भूमि में खातेदार लोगरी पुत्री देवा के बजाय नारायणलाल पुत्र देवा डांगी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:08 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 195/22 (वाद) GCMS No. : 2022/488

उनवान

1. श्री नारायणलाल पिता देवा डांगी निवासी विठोली तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. लोगरी माता दोलीबाई डांगी निवासी राणाकुई तह. वल्लभनगर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 1036, 1229, 1242 से 1245, 1249, 1250, 1254, 1262, 1263, 1267, 1567/1350, 1569/1368 किता 14 रकबा 5.2691 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1253, 1258, 1415 से 1421, 1425, 1426 किता 11 रकबा 1.6836 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1022, 1023, 1024 किता 3 रकबा 0.1458 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1311 रकबा 1.8535 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1272 रकबा 0.3561 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1423 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1568/1351 रकबा 0.1538 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1260 रकबा 0.0162 हेक्टेयर भूमि में खातेदार लोगरी पुत्री देवा के बजाय नारायणलाल पुत्र देवा डांगी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.04.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:08 IST
Reason: SelfAttested